घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

परिचय

पुराने समय में किसी भी अनुष्ठान में महिला का होना अनिवार्य माना जाता था। नारी की उपस्थिति के बिना कोई भी सामाजिक अथवा धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं हो सकता था। परंतु नारी जो किसी जमाने में गृहलक्ष्मी का पद धारण करती थी आज वह मात्र अनुचर एवं गृहदासी बनकर रह गई है।

"भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्यों द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।"

अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप में यह बताता है कि राज्य केवल धर्म मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा। हमारा संविधान स्पष्ट रूप से यह कहता है कि पुरूष एवं महिला को समान अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, इस अनुच्छेद के खंड 3 में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था भी दी गई है।

परन्तु संविधान में सभी व्यक्तियों के लिए समानता स्थापित होने के बावजूद महिला और पुरूष में समानता नहीं है। महिलाओं के साथ बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इनमें से एक है घरेलू हिंसा। निसंदेह यह मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दा है तथा यह मानवाधिकारों के विकास में एक गंभीर व्यवधान है। वियना समझौता 1994 और कार्यवाही के लिए बीजिंग घोषणा और मंच 1995 ने भी घरेलू हिंसा को एक मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा बताया है।

भारत में घरेलू हिंसा की घटना व्यापक रूप से विद्यमान है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 से पहले सिविल विधि में घरेलू हिंसा से संबंधित कोई भी कानून नहीं था। इस अधिनियम से पहले महिला पर उसके पति या उसके सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता का कार्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 (क) के अन्तर्गत अपराध था, परन्तू घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं के घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर संरक्षण विधि में उपचार का प्रावधान करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति ने 13 सितम्बर, 2005 को स्वीकृति दी तथा 26 अक्तूबर, 2006 को यह अधिनियम लागू हुआ।

'घरेलू हिंसा' से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, 26 अक्तूबर 2006 को लागू हुआ। इसके अनुसार :-

- कोई भी महिला जो 'घरेलू संबंधों' में हिंसा की शिकार हो, वह अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।

- घरेलू संबंधों में यहां वे सभी संबंध आते है जिनमें कोई महिला किसी और के साथ रहती हो। जैसे कि शादी के बाद, जन्म से, गोद लेने पर या संयुक्त परिवार में रहने वाले। इनमें वह भी शामिल है, जो कानूनन शादी के बिना ही पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हों

इस प्रकार, पत्नी, बेटी, मां या बिना शादी के साथ रहने वाली महिला मित्र इस कानून के अनुसार अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।

'घरेलू हिंसा' किसे कहते हैं?

हमारे समाज में महिलाओं को ऐसे कई हालातों का सामना करना पड़ता है जिन्हें घरेलू माहौल में 'आम' या 'मामूली' माना जाता है, लेकिन इस कानून में वह 'घरेलू हिंसा' मानी जा सकती हैः-

- मीना का पति उससे अक्सर मार-पीट करता है।

- शांता की सास उसे रूप रंग पर ताने देती रहती हैं

- नफीसा बानो के बेटे ने उससे सारी जायदाद और पैसे ले लिए हैं और अब उसकी बीमारी का इलाज कराने से भी इन्कार करता हैं

- सुनीता के चाचा उससे छेडछाड करते रहते हैं और उसे अपने पास बैठने को मजबूर करते है।

- यासमीन स्कूल में पढा कर जो भी कमाती है, उसका पति उसके पास नहीं रहने देता।

- रूपा का भाई अक्सर शराब पीकर उसे धमकाता रहता है कि उसे घर से निकाल देगा, क्योंकि वह घर पर बोझ बनी हुई है।

- शाहिदा का पति उसे मायके नहीं जाने देता।

घरेलू हिंसा :– आरोपी/आरोपियों द्वारा वे सभी कार्य करने से या न करने से या उसके व्यवहार से घरेलू हिंसा उत्पन्न होती है अगर –

क) यह पीड़ित व्यक्ति कों (यहां पर महिला को) नुकसान, चोट या स्वास्थय के खतरा, सूरक्षा या जीवन, या अंग या मानसिक व शारिरिक सुख को नुकसान पहूंचे या फिर ऐसा कोई प्रयास या प्रयत्न किया गया हो। इसमें शारीरिक उत्पीड़न, योन उत्पीड़न, शाब्दिक या भावनात्मक उत्पीड़न या आर्थिक उत्पीड़न भी सम्मिलित है।

ख) पीड़ित व्यक्ति को या उसके किसी सम्बन्धी को गैरकानून शर्तो (किसी भी प्रकार की) जो कि दहेज की, दूसरी सम्पति की या फिर कीमती प्रतिभूमि की हो, को मनवाने के लिए दबाव डालने के लिए, सताना, नुकसान पंहुचता है, चोट पहुंचाता है या फिर जीवन को खतरे में डालता है, या

ग) या फिर उपरलिखित (क) (ख) पेश में लिखित व्यवहार से पीड़ित या उसके किसी सम्बन्धित को धमकी का प्रभाव पड़ता है। या

घ) पीड़ित को किसी और तरह से क्षति या हानि–मानसिक या शारीरिक पहुंचती है।

– बेहतर जानकारी के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि यह जान लेना कि वे कोन सी घटनायें है जो घरेलू हिंसा के दायरे में आती है। जिनका ब्यौरा इस प्रकार है और पीड़ित व्यक्ति उसके खिलाफ अदालत से सुरक्षा आदेश व अन्य ओदश के लिए प्रार्थना कर सकता हैः–

घरेलू हिंसा की वारदातेंः–

यौन सम्बन्धि वारदातेंः–

- ➢ जबरन यौन सम्बन्ध स्थापित करना।

- जबरन अश्लील या भद्दे तस्वीरे देखने पर बाध्य करना।
- जबरन आपको दूसरों का मनोंरजन करने के लिए बाध्य करना।
- कोई भी ऐसा कार्य या हरकत जो यौन सम्बन्धित हो। जो आपकी प्रतिष्ठा को दुर्व्यवहार, नीचा दिखाती हो, छोटा करती हो, और उसके प्रतिकूल हो।

शाब्दिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार

- आपके चरित्र और व्यवहार पर लांछन लगाना।
- दहेज न लाने के ताने देना।
- निसन्तान होने पर आपके साथ दुर्व्यवहार होना।
- लड़का पैदा न होन पर बेइज्जत करना।
- छोटी, औच्छी, घटिया दर्जे की टिप्पणी करना।
- आपका मजाक बनाना या उपहास करना।
- गालियां निकालना।
- आपको नौकरी न करने देना।
- कोई स्कूल कालेज या किसी और शिक्षा संस्थान में न पढ़ने देना।
- घर से बाहर जाने से आपको रोकना।
- आपको किसी व्यक्ति विशेष से मिलने से रोकना।
- आपको आपकी मर्जी के खिलाफ शादी करने से रोकना।

- आपको उसकी या उनकी पंसद के व्यक्ति के साथ शादी के लिए बाध्य करना या फिर किसी अन्य तरह की शाब्दिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार की कोई वारदात का होना।

आर्थिक हिंसा

- आपको या आपके बच्चों को खाना, कपड़ों और दवाईयों इत्यादि से वंचित रखना।
- आपको या आपके बच्चों के रख-रखाव के लिए धनराशि न मुहैया कराना।
- जिस घर में आप रह रहे हैं उससे बाहर निकालना।
- घर के किसी हिस्से में आपका प्रवेश या उपयोग किया जाने पर पाबंदी लगाना।
- आपके रोजगार कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना या रोकना।
- आपको कोई रोजगार न करने देना।
- किराये पर रहने की अवस्था में किराया अदा न करना।
- आपको सामान्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं और कपड़ो को प्रयोग न करने देना।
- आपके स्त्रीधन को बेचना या गिरवी रखना और अन्य किमती सामान को बताये बगैर या आपकी सहमति बगैर बेचना या गिरवी रखना।
- जबरन आपकी तनख्वा, आमदमी वा कमाई इत्यादि को आपसे ले लेना।
- आपके स्त्रीधन को बेच देना या समाप्त करना।

- घर के किसी तरह के बिल का भुगतान न करना जैसे बिजली बिल इत्यादि।

- इसके आलावा कोई भी आर्थिक हिंसा की घटना आपके साथ घटना।

दहेज सम्बन्धित पीड़ा

- किसी तरह दहेज की माँग

- या फिर दहेज के साथ दहेज से सम्बन्धित माँग।

आपके बच्चों के साथ हुई किसी प्रकार की घरेलू हिंसा की वारदात होना।

शारिरिक हिंसा – उदाहरणतयः पीटना, धक्का मारना, थप्पड़ मारना, लात मारना, घुस्सा मारना, शारीरिक पीड़ा या चोट पहुँचना चाहे किसी भी ढ़ंग क्यों न हो।

क्या अदालत के दखल देने पर इस प्रकार हिंसा करने वालों को जेल भी हो सकती है?

गंभीर मामलों में आरोपियों को जेल भी भेजा जा सकता है। यह कानून इसीलिए बनाया गया है कि उपर बताए गए माहौल में कोई भी महिला सुखी और सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकती। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि संबंधो को आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता न ही उसका घर से अलग होना ही आसान होता है। ऐसे में यह कानून उसके माहौल मे सुधार का एक मौका देता है। अदालत हिंसा करने वालों को सुरक्षा आदेश के माध्यम से रोक सकती है। फिर भी अगर हालात में बदलाव नहीं होता तो आगे भी कार्यवाही की जा सकती है।

ध्यान दें : इस कानून के लागू हो जान के बाद भी, गंभीर अपराधी हिंसा की शिकार महिला, आरोपियों के खिलाफ अपराधी हिंसा का मामला दर्ज करा सकती है। पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करने से इस कारण इन्कार नहीं कर सकती कि उसे पहले अदालत से **सुरक्षा के आदेश** की प्रार्थना करनी चाहिए थी।

आरोपियों के विरूद्ध क्या आदेश हो सकते है?

1) आरोपी/आरोपियों को हिंसा या उत्पीड़न करने वाला व्यवहार तुरंत बंद करने को कहा जा सकता है, साथ ही उनको उकसाने वालों ओर मदद करने वालों को भी रोकने का आदेश दिया जा सकता है।

- रूही का पति राशिद उसके साथ मार-पीट करता है, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसकी शिकायत किया करती है और राशिद को 'उसे वश में रखने' को उकसाती रहती है। ऐसे में अदालत राशिद और उसकी मां को रूही के साथ ऐसे बर्ताव रोकने का आदेश दे सकती है।

- रानी मायके चली आई है, क्योंकि उसका पति रवि उसे मार-पीट करने की धमकी देता रहता था। अब वह उसके घर (मायके) और जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, उसके चक्कर लगाने लगा है। वह उसके आगे-पीछे लगा रहता है और गालियां और धमकियां देता है। जब लोग उसे रोकते है, तो कहता है कि मेरी बीवी है उससे मिलने का मुझे पूरा अधिकार है। जब उसके साले ने उसे रोका तो वह उसे भी धमकियां देने लगा।

2) अदालत, आरोपी/आरोपियों को वह घर बेचने से रोक सकती है जहां वह महिला रहती हो; उसे घर से निकालने से रोक सकती है। आरोपियों को उस घर या घर के हिस्से में जाने से भी रोका जा सकता है। उस घर में जाने पर रोक लगा सकती है, या फिर उस महिला के रहने के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम करने का आदेश दे सकती है।

3) आरोप लगाने वाली महिला को बच्चों का संरक्षण दे सकती है।

- जहिरा ने अपने शौहर जलाल का घर छोड़ दिया क्योंकि वह अक्सर उससे मार-पीट करता था। उसने अदालत से गुहार की जिसने उसके पति को मार पीट से बाज आने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद जलाल उनकी बारह साल की बच्ची को स्कूल से ले गया। ऐसे में अदालत जाहिरा को बच्ची को रखने का हक दे सकती है और बच्ची वापिस दिलवा सकती है।

4) हिंसा के आरोपी को उससे हुए किसी भी प्रकार की हानि के लिए मुआवजा, हर्जाना, इलाज का खर्चा और रहने का खर्चा देने का आदेश दे सकती है।

5) शिकायत करने वाली महिला और आरोपी दोनों को काउंसलिंग (सलाह) के लिए भेज सकती है। कोई प्रशिक्षित व्यक्ति उन दोनों को अपनी समस्याओं को समझने और शांति के साथ रहने में उनकी सहायता करे।

महिलाएँ ऐसा आदेश कैसे पा सकती है?

महिला को 'सुरक्षा अधिकारी' के पास अपनी शिकायत करनी होगी जिसे इस काम के लिए हर जिले में नियुक्त किया गया है। वह मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। तब अदालत शिकायत में आरोपी व्यकित को पेश होने का आदेश करेगी।

सुरक्षा अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिला की इस मामले में हर प्रकार से मदद करे; और अदालत के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करें। अदालत में यह प्रार्थना सीधे भी की जा सकती है; जिसे की प्रपत्र-1(फार्म-1) में करना होगा।

क्या हिंसा की शिकार महिला को खुद ही शिकायत करनी होगी ओर फार्म भरना होगा?

महिला खुद या कोई दूसरा जिसे हिंसा की जानकारी हो, उसके लिए शिकायत कर सकता है।

यदि आदेश के बाद भी वह अपने गलत व्यवहार को नहीं बदलता तो क्या किया जाएगा?

आरोपी यदि आदेशों के बाद भी नहीं बदलता तो उसे कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

'सुरक्षा अधिकारी' को अपनी जिम्मेदारियों का पालन न करने पर उसे भी कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

सर्विस प्रोवाईडर (सेवा प्रदान करने वाले)

यह एक ऐच्छिक संगठन है जो कानून के दायरे के अन्दर रह कर ही महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सोसाईटीज एक्ट, 1860 (21 of 1860) या फिर कम्पनीज एक्ट 1956 (1 of 1956) या फिर किसी और कानून के तहत पंजीकृत होते है।

सर्विस प्रोवाईडर क्या सर्विस प्रोवाईड कर सकते है? और इनकी क्या अधिकार है।

- घरेलू वारदात रिर्पोट बनाकर उसकी एक कापी मैजिस्ट्रेट और एक सुरक्षा अधिकारी को भेजना। जहाँ घरेलू हिंसा घटी हो और कार्यक्षेत्र हो।
- पीड़ित की चिकित्सा जाँच कराकर उसकी एक कापी सुरक्षा अधिकारी के पास भेजना और एक कापी पुलिस थाना भेजना।
- पीड़ित व्यक्ति को आश्रय घर में भेजना अगर जरूरी है तो और इस बात की इतला इलाका के थाना अधिकारी को देना।
- सर्विस प्रोवाईडर द्वारा किया गया अच्छी नियत के साथ कोई भी काम कानूनन उसको गलत नहीं ठहरा सकता और उसके खिलाफ केस भी नहीं चलाया जा सकता।

सेवाएँ जो सर्विस प्रोवाईडर प्रदान कर सकते है या करते है।

- आश्रय देना।
- मनोविज्ञानिक प्रार्मश प्रदान करना।
- परिवारिक प्रार्मश प्रदान करना।
- व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण देना।
- चिकित्सा सहायता।

- सचेतना प्रोग्राम (सचेत करने का प्रोग्राम)

- घरेलू हिंसा से प्रभावित तथा घरेलू झगड़ों वाले समूह को प्रार्मश देना या फिर इसी तरह की सहायता जो इस एक्ट के अन्तर्गत फायदेमन्द हो।

- आफिसर (सुरक्षा अधिकारी) क्या है और इससे सम्बन्धित कुछ विशेष जानकारी।

– सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सरकारी या गैर सरकारी एन.जी.ओ. (NGO) के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।

घरेलू वारदात रिर्पोट क्या है।

(i) यह सुरक्षा अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता (पीड़ित व्यक्ति) के शिकायत मिलने पर तैयार की जाती है और यह फोंम-1 की रूपरेखा में बनाई जाती हैं और उसकी कापी मैजिस्ट्रेट और इलाका पुलिस अधिकारी (थाना प्रभारी) को दी जाती है।

(ii) पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना पर यह घरेलू वारदात रिर्पोट सर्विस प्रोवाईडर द्वारा भी बनाई जा सकती है और सर्विस प्रोवाईडर इसकी एक कापी मैजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन अधिकारी को भेजी जाती है।

सुरक्षा अधिकारी कृतव्य और अधिकार

- पीड़ित व्यक्ति की शिकायत लिखवाने में सहायता करना यदि वह ऐसा चाहे तो।

- पीड़ित व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी देना।

- पीड़ित व्यक्ति को शिकायत (Sec.12, Sec. 23(2) के तहत लिखवाने में सहायता देना।

- पीड़ित व्यक्ति को भविष्य में हानि या खतरे से बचाने के लिए बचाव योजना हालात को भांप कर बनाने में पीड़ित की मदद लेना।

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तहत कानूनी सहायता दिलाना।
- चिकित्सा सहायता तथा आवागमन का साधना मुहैया कराना।
- पंजिकृत सर्विस प्रोवाईडर को सूचना देना की उनकी सेवाओं की जरूरत है और काउसलर्स की लिस्ट उनसे लेना या बैलफेर एक्सपर्ट की लिस्ट लेना और उनकी सर्विस लेना।
- Counsellor की application मैजिस्ट्रेट के पास भेजना।
- तीन साल के बाद Counsellor की लिस्ट को दुरूस्त करना (Revise करना)
- Sec. 9, 12, 20, 21, 22, 23 के तहत सभी दस्तावेज जो उसके पास आये है। उनको सम्भाल कर रखना व कार्यवाही करना।
- पीड़ित व्यक्ति या उसके बच्चों की परेशानी से बचाने की हर सम्भव प्रयत्न करना।
- पीड़ित व्यक्ति, पुलिस एंव सर्विस प्रोवाईडर के बीच मध्यस्ता करना।
- सर्विस प्रोवाईडर, चिकित्सा सुविधाओं और आश्रयग्रहों के दस्तावेजों जो कि उसके कार्य क्षेत्र में आते है को सम्भाल कर रखना।
- इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति की हर सम्भव सहायता करना और भविष्य में उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती कौशिश करना।